RBE No.83/2019

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I-2019/CR/3

New Delhi dated 21/05/2019

The General Managers(P)
All Zonal Railways &
Production Units etc.,
(As per standard list).

Sub:- Introduction of provision for writing of APAR of Railway employees working in PB-I, Grade Pay of Rs.1900/- Level-2 – clarification regarding.

Reference is invited to Board's letter No. E(NG)I-2013/CR/1 dated 30.12.2014, issued as RBE No. 148/2014) on the subject referred to above. It has been pointed out that provision of "Reviewing Authority" in the proforma attached to the Board's letter ibid was not made.

Considering the above, the matter has been reviewed. It is advised that a new entry i.e. Reviewing Authority may be introduced at the bottom of the APAR format for GP Rs. 1900/- Level-2 after the Reporting Officer entry, in the said proforma attached with the letter ibid. issued vide Board's letter dated 30.12.2014 quoted above.

(This disposes off DLMW's letter No. 400 E/P/DMW/Confdl. dated 11.02.2019).

Please acknowledge receipt.

(M.K. Meena)
Deputy Director Estt. (N)
Railway Board

आरबीई सं. 83 /2019

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)I-2019/सीआर/3 — नई दिल्ली, दिनांक 21.05.2019

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि,
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- लेवल-2, ग्रेड पे 1900/-, पीबी-I में कार्यरत रेल कर्मचारियों की वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) लिखने के लिए प्रावधान आरंभ किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण।

आपका ध्यान उपर्युक्त उल्लिखित विषय पर बोर्ड के दिनांक 30.12.2014 के पत्र सं. ई(एनजी)I-2013/सीआर/1 (आरबीई सं. 148/2014 के रूप में जारी) की ओर आकृष्ट किया जाता है। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि बोर्ड के उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रोफार्मा में "समीक्षा प्राधिकारी" का प्रावधान नहीं किया गया था।

उपर्युक्त पर विचार करते हुए इस मामले की समीक्षा की गई है। इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि बोर्ड के दिनांक 30.12.2014 के ऊपर उल्लिखित पत्र के तहत जारी उक्त पत्र के साथ संलग्न उल्लिखित प्रोफार्मा में रिपोर्टिंग अधिकारी की प्रविष्टि के पश्चात् लेवल-2, ग्रेड पे 1900/- रुपए के लिए एपीएआर फार्मेट के नीचे समीक्षा प्राधिकारी की नई प्रविष्टि शामिल की जाए।

(इससे डीएलएमडब्ल्यू के दिनांक 11.02.2019 के पत्र सं. 400 ई/पी/डीएमडब्ल्यू/कॉन्फिडे. का निपटान हो जाता है)।

कृपया पावती दें।

(एम. के. मीना)
उप निदेशक स्थापना (एन)
रेलवे बोर्ड

RBE NO. 9/95

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD).

NO.E(NG)I/89/AP/5 New Delhi, dated 30/01/95

The General Managers(P),
All Indian Railways &
Production Units.
(AS PER STANDARD LIST)

Sub:- Forwarding of applications from serving Railway employees for posts outside the Railways - recovery of cost of training and enforcement of bond.

As the Railways are aware, in terms of the instructions contained in the Board's letters* indicated in the margin, non-gazetted railway employees who have received 'induction training' and who leave the railway service with proper prior permission of the competent authority to join employment under the Central Govt./State Govt./Public Enterprise wholly or partly owned by the Central Govt. or a State Govt. or autonomous body wholly or substantially owned/financed/controlled by the Central Govt. or a State Govt., are exempted from refunding the cost of training. However, a fresh bond is taken from such employees to ensure that they serve the new employer for the balance of the original bond period.

2. It has now been decided by the Ministry of Railways that the above instructions will also become applicable in respect of those non-gazetted railway employees who have received training in a specific 'avocation' at the Railway's expenses subject to the conditions stipulated in Board's letter No.E(NG)I/84/AP/9 dated 11.4.1986.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Please acknowledge receipt.

(K.B. LALL)
DIRECTOR ESTABLISHMENT(N)
RAILWAY BOARD.

आर·बी·ई सं· /95

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं·ई(एनजी)-I/87/ए·पी·/5 नई दिल्ली, दिनांक 30-1-95

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन कारखाने (मानक सूची के अनुसार)

विषय:- सेवारत रेल कर्मचारियों के आवेदन-पत्रों को रेलों से बाहर के पदों के लिए अग्रेषित करना – प्रशिक्षण की लागत की वसूली और बंध-पत्र का निष्पादन

जैसा कि रेलों को विदित है, हाशिये में बताए गए बोर्ड के पत्रों में अन्तर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार, जिन अराजपत्रित रेल कर्मचारियों ने "इंडक्शन ट्रेनिंग" प्राप्त की हो और जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के पूर्ण अथवा आंशिक स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रम अथवा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के पूर्ण रूप से या बड़ी मात्रा में स्वामित्व वाले/उनके द्वारा वित्त-पोषित/नियंत्रित किसी स्वायत्त निकाय के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की समुचित पूर्व-अनुमति लेकर रेलवे की नौकरी छोड़ते हैं, उन्हें प्रशिक्षण की लागत वापस न करने की छूट है। बहरहाल, ऐसे कर्मचारियों से एक नया बंध-पत्र लिया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मूल बंध-पत्र की बाकी बची अवधि तक नए नियोजक की सेवा में रहेंगे।

2. रेल मंत्रालय द्वारा अब यह विनिश्चय किया गया है कि ये अनुदेश, बोर्ड के दिनांक 11·4·86 के पत्र सं· ई(एनजी)I/84/एपी/9 में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन, उन अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के संबंध में भी लागू होंगे, जिन्होंने रेलवे के खर्च पर किसी विशेष "व्यवसाय" में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

3. यह पत्र रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. कृपया पावती दें।

(के·बी·लाल)

भारत सरकार
परिवहन मंत्रालय ,रेल विभाग
{रेलवे बोर्ड}

सं0: ई{एनजी}I-84एपी/9

महाप्रबन्धक,
सभी भारतीय रेलें आदि
{संलग्न मानक सूची के अनुसार}

नयी दिल्ली,दि0 11.4.86.

विषय:- रेलवे से बाहरी पदों के लिए सेवारत रेल कर्मचारियों के आवेदन पत्रों का अग्रेषण-प्रशिक्षण और लागत की वसूली बन्ध पत्र का प्रवर्तन

रेलवे बोर्ड के दिनांक 21-1-61 के पत्र संख्या ई{एनजी}57 आरसी-I/56 के पैरा I {2} में दिये गये अपवाद के संदर्भ में जिसमें यह व्यवस्था है कि उसमें दी गयी शर्तों के अधीन रेल कर्मचारियों के आवेदन पत्र गैर रेलवे पदों के लिए अग्रेषित किये जाते समय उनसे इस आशय का एक वचन लिया जाये कि वह उस पद के लिए चुने जाने पर रेल सेवा छोड़ते समय प्रशिक्षण की लागत वापस करेंगे । रेल सेवा में शामिल होते समय प्रशिक्षुओं/प्रशिक्षार्थियों द्वारा भी निष्पादित किये जाने वाले करार फार्म/क्षतिपूर्ति बंध पत्र में इसके अनुरूप व्यवस्था विद्यमान है ।

2. इसके पश्चात् बोर्ड के दिनांक 9-2-79 के पत्र संख्या ई{एनजी}II-77-एपी-6 द्वारा यह विनिश्चय किया गया था कि गैर राजपत्रित कर्मचारियों को जिन्होंने रेलवे के खर्चे पर किसी व्यवसाय विशेष का प्रशिक्षण नहीं लिया है परन्तु उन्हें केवल "प्रवेश पाठ्यक्रम" में प्रशिक्षण दिया गया है ताकि उन्हें रेलवे के कार्य की आवश्यकता के योग्य बनाया जा सके, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अन्य पदों पर चयन होने पर प्रशिक्षण लागत की वापसी में छूट दी जाए ।

3. रेल विभाग ने अब विनिश्चय किया है कि अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने प्रवेश पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और जो सक्षम प्राधिकारी की यथोचित पूर्व अनुमति से रेल सेवा छोड़ना चाहते हैं और जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार, पूर्णत: सार्वजनिक अथवा केन्द्रीय सरकार के आंशिक क्षेत्र अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णत: अथवा केन्द्रीय सरकार के/स्वामित्व वाले/वित्त पोषित/नियंत्रित स्वाशासी निकाय में अथवा राज्य सरकार में कार्यभार ग्रहण करना चाहते हों, उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए बंध पत्र भरवाया जाए कि वे मूल बंध पत्र

की बकाया अवधि के लिए नये नियोक्ता की सेवा करेंगे ।

4. यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि किसी व्यक्ति से एक नया बंध पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता जहां आवश्यक हो पूरी कर ली जाती है, वह रेल प्रशासन जिसके साथ कर्मचारिरी ने मूल बंध पत्र निष्पादित किया हो, दूसरे पद के लिए कर्मचारी के आवेदन पत्र को अग्रेषित करते समय (और यदि ऐसा करना संभव न हो तो उसे निर्मुक्त किये जाने से पहले) उस विभाग/संगठन को जिसके अंतर्गत कर्मचारी नयी नियुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक हो कर्मचारी को बंध पत्र दायित्व के सम्बन्ध में सूचित करते हुए यह स्पष्ट करते हुए लिख सकता है कि उक्त कर्मचारी का नये पद पर चयन हो जाने की स्थिति में उसे छोड़ा जाना इस शर्त के अध्यधीन होगा कि नया विभाग/संगठन उससे इस आशय का नया बंध पत्र प्राप्त करेगा कि वह मूल बंध पत्र प्राप्त की शेष अवधि के लिए उस विभाग में सेवारत रहेगा, और यदि वह नये विभाग/संगठन में कार्य नहीं करता अथवा ऐसे कार्य के लिए जिसके वास्ते बंधपत्र की अवधि में छूट नहीं दी जा सकती मूल बंध पत्र की अवधि की समाप्ति से पहले ही वह नौकरी छोड़ देता है तो उस व्यक्ति से बंध पत्र की समानुपातिक राशि वसूल की जाये और उस रेल प्रशासन को लौटायी जाये जिसके साथ उसने प्रारम्भ में बंध-पत्र निष्पादित किया हो । उस मंत्रालय/विभाग/संगठन को भी जहां उस व्यक्ति को नयी नियुक्ति दी जा रही हो मूल मंत्रालय/विभाग/संगठन को इस तथ्य की विधिवत सूचना देनी चाहिए कि सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा नया बंध पत्र निष्पादित कर दिया गया है ।

5. एक शंका व्यक्त की गयी है कि क्या शब्द "प्रशिक्षण" में प्रशिक्षु अवधि भी शामिल है और इन अनुदेशों में यथा उल्लिखित खर्च की वसूली से छूट में व्यक्ति को दिया गया प्रशिक्षण भत्ता या वृत्तिका भी शामिल हैं । एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ये अनुदेश प्रतिबन्धात्मक नहीं हैं बल्कि इसमें प्रशिक्षु अवधि सहित प्रशिक्षण के सभी पहलू भी शामिल हैं । /आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि खर्च की वसूली में सभी प्रकार के खर्च शामिल है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष-इसमें प्रशिक्षण भत्ते या वृत्तिका के रूप में दिया जाने वाला भुगतान भी शामिल है ।

6. ये अनुदेश उन मामलों पर भी लागू होंगे जहां कोई रेल कर्मचारी किसी ऐसे पद/सेवा (निजी नियोजन से भिन्न) के लिए चुना गया है जिसके लिए उसने रेलवे में आने से पहले, जिसके साथ कि उसने बंध पत्र निष्पादित किया हो, आवेदन किया हो

(के.बी.लाल)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (अराज)
रेलवे बोर्ड।

प्रतिलिपि रेलवे बोर्ड की ई आर बी -I,II,III,IV, ई(ओ)I,II,III, ई(जीआर)I, II, कैश-I,II, ई(जी), स्थि(ई), एफ(ई) I,II,III, एफ(ई) स्पेशल को चार अतिरिक्त प्रतियों सहित, ई(एनजी)II, ई(रिप)I,II एवं III शाखाओं को प्रेषित।

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF TRANSPORT (PARIVAHAN MANTRALAYA)
DEPARTMENT OF RAILWAYS (RAIL VIBHAG)
(RAILWAY BOARD)

RBE No.62/86

NO.E(NG)I-84 AP/9

New Delhi, dated 11.4.1986

The General Managers, All Indian Railways, etc.
(As per Standard List attached).

Sub: Forwarding of applications from serving railway employees for posts outside the Railways - Recovery of cost of training and enforcement of bond.

-o-o-

Reference Exception under paragraph 1(2) of Railway Board's letter No.E(NG)57 RC1/56 dated 21.1.61 which provides that where applications of railway servants are forwarded for non-railway posts under the conditions stipulated therein, an undertaking should be obtained from them to the effect that they would refund the cost of training when leaving railway service on selection. A corresponding provision also exists in the Agreement Form/Indemnity Bond executed by Apprentices/ Trainees on entering Railway Service.

2. Subsequently, it was decided vide Board's letter No. E(NG)II-77-AP-6 dated 9.2.1979 that non-gazetted employees who have not received training at Railway expenses in a specific avocation but only have been given an "induction course" to make them suitable to the working needs of the Railway may be exempted from refunding the cost of training in the event of their selection to other posts under the Central Government/State Government or in Public Sector Undertakings.

3. The Department of Railways have now decided that in the case of non-gazetted employees who have received ~~induction~~ "induction training" and who leave Railway service with proper prior permission of the competent authority to join employment uner the Central Government, a State Government, a Public Enterprise wholly or partly owned by the Central Government or a State Government or an autonomous body wholly or substantially owned/financed/controlled by the Central Government or a State Government, a fresh bond should be taken from such employees to ensure that they serve the new employer for the balances of the original bond period.

4. With a view to ensuring that the requirement of obtaining a fresh bond from a person, where necessary, is fulfilled the Railway Administration with whom the employee has executed the original bond, may at the time of forwarding of his application

(and if it is not possible, before his release) for another post, may write to the Department/organisation under whom the employee intends to take up another appointment, intimating them about the bond obligation of the individual and clarifying that in the event of his selection for the new post, his release will be subject to the condition that the new department/organisation obtains from him a fresh bond binding him to serve them for the balance of the original bond period, and in case he fails to serve the new department/organisation, or leaves it before completion of the original bond period, for a job, where exemption from bond obligation is not available, the proportionate bond money should be realised from the individual and refunded to the Railway Administration, with whom he had originally executed a bond. The Ministry/Department/Organisation, where the person is new employed, should also duly intimate the original Ministry/Department/Organisation, the fact of a fresh bond having been executed by the person concerned.

5. A doubt has also been raised whether the word 'training' covers apprenticeship and whether exemption from recovery of expenses, as laid down in these instructions, includes payments made to an individual in the shape of training allowance or stipend. It is hereby clarified that these instructions are not restrictive, but cover all aspects of training, including apprenticeship. It is further clarified that exemption from recovery of expenses applies to all types of expenditure - direct or indirect - including payments made as training allowance or stipend.

6. These instruction will also apply to cases where a Railway employee has been selected for a post/service (other than private employment), for which he had applied before joining the Railway, with whom he has executed a bond.

(K.B. LALL)
Joint Director, Estt.
Railway Board.